

अंचल अधिकारी का कार्यालय, मानगो।

पत्रांक:- 807
दिनांक:- 06.X.2020

प्रेषक,
अंचल अधिकारी,
मानगो।
सेवा में,
कार्यपालक पदाधिकारी,
मानगो नगर निगम,
जमशेदपुर।

विषय:- 1.) सैयद जुबैर आलम पिता स्व० सैयद सगिरूल हसन, 2.) जावेद असरफ पिता स्व० मुस्तजा हुसैन एवं 3.) इम्तीयाज अहमद पिता मो० मुस्तबा द्वारा धारित भूमि का सत्यापन करने के संबंध में।
प्रसंग:- आपका पत्रांक- 1887, दिनांक- 29.09.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से राजस्व कागजातो के साथ जाँच कराया गया। प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार मौजा- अ०क्षे० मानगो वार्ड नं०- 8, खाता नं०- 764, प्लॉट नं०- 3605, रकवा- 8.42 डि० तथा खाता नं०- 765, प्लॉट नं०- 3605/4265, रकवा- 0.57 डि० कुल रकवा- 8.99 डि० भूमि पंजी II भाग वर्तमान- 102 पृष्ठ संख्या- 28 एवं पंजी II भाग वर्तमान- 102 पृष्ठ संख्या- 71 पर 1.) SYED ZUBAIR ALAM S/O LATE SYED SAGHIRUL HASSAN 2.) JAWED ASHRAF S/O LATE MURTAZA HUSSAIN 3.) IMTEYAZ AHMAD S/O MOHAMMAD MUJTABA के नाम पर जमाबंदी कायम है तथा वर्ष 2019-20 तक का लगान भुगतान किया गया है। हाल सर्वे 1979 के खतियान में यह भूमि हरे कृष्ण दत्त पिता सतीश चन्द्र दत्त के नाम पर दर्ज है, जो C.N.T. ACT 46 के अन्तर्गत नहीं आता है। जमाबंदी के अवलोकन से यह भूमि किसी विभाग द्वारा अर्जित नहीं पाया गया।

अतः जाँच प्रतिवेदन अग्रेतर कारवाई हेतु प्रेषित

विश्वासभाजन

D. Laksh
6/10/20
अंचल अधिकारी
मानगो।